महत्वपूर्ण

संख्या-24/2016/1715/55-पर्या-2016-36(पर्या)/2014

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-95/पर्या/प्लान/रा0से0यो0 /जा0का0/16-17, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो के अधीन पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकयता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्षक, "3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूदभवन-आयोजनागत-003-पर्यावरणीय शिक्षा/ प्रशिक्षण/ विस्तार-03-पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन-42 अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

-2-

संख्या- 24/2016/1715(1)/55-पर्या-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

3- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2

4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।